

वास्तविक खेतिहर/बटाईदार किसान के द्वारा किए गये पटवन के लिए घोषणा प्रपत्र

आवेदक किसान, जनप्रतिनिधि एवं कृषि समन्वयक से नीचे दिए गए प्रपत्र का सत्यापन कराने के बाद ही आवेदन के साथ इस प्रपत्र को संलग्न करेंगे। जनप्रतिनिधि (वार्ड सदस्य/मुखिया/सरपंच/पंचायत समिति के सदस्य) में से कोई एक एवं कृषि समन्वयक के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना मेरे आवेदन को निरस्त समझा जाएगा।

मैं किसान पिता/पति गाँव का नाम
..... पंचायत प्रखण्ड
जिला का निवासी हूँ एवं घोषणा करता/करती हूँ कि खरीफ मौसम वर्ष
2026-27 में डीजल पम्पसेट से निम्न भूमि पर अल्पवृष्टि/अनावृष्टि/सूखा के कारण पटवन का कार्य
ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि से 30.10.2026 के बीच किया गया। मैं निम्न भूमि पर वास्तविक
खेतिहर के रूप में कार्यरत हूँ एवं मेरे नाम से निम्न जमीन का दाखिल खारिज नहीं है।

क्रम	थाना	खेसरा	मूल भू-धारी का नाम	चौहद्दी के किसान का नाम	कुल खेती का रकवा	पटवन का रकवा

गवाह के रूप में अगल बगल के दो किसानों का नाम, पता, मोबाईल संख्या एवं हस्ताक्षर निम्न है :-

किसान का नाम	पता	मोबाईल संख्या	हस्ताक्षर

दिनांक :

किसान का हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान

सत्यापन प्रपत्र

उपरोक्त विवरणी के अनुसार किसान वास्तविक खेतिहर/बटाईदार है एवं उपरोक्त भूमि पर डीजल पम्पसेट से पटवन का कार्य ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि से 30.10.2026 के बीच किया है।

(वार्ड सदस्य/मुखिया/सरपंच/पंचायत समिति
के सदस्य) का हस्ताक्षर

कृषि समन्वयक का हस्ताक्षर